



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22072020-220641
CG-DL-E-22072020-220641

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 357]
No. 357]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 22, 2020/ आषाढ 31, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 22, 2020/ASADHA 31, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2020

सा.का.नि. 461 (अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 जिसमें केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, में और अधिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित प्रारूप कतिपय नियमों को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको सरकारी राजपत्र में यथा-प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।

2. कोई आपत्तियां या सुझाव, जो किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के भीतर प्राप्त किए जाते हैं, पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

3. इन प्रारूप नियमों पर आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संयुक्त सचिव (एमवीएल, परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकेंगे अथवा jspb-morth@gov.in; पर ई-मेल किए जा सकेंगे।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों को केंद्रीय मोटर यान (.....संशोधन) नियम, 2020 कहा जा सकता है।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में, नियम 115 में,

1. उप-नियम (18) में, खंड (i) में, नीचे दी गई तालिका 2 में दिए गए नोट्स में,

(क) उप-खंड 4 (छ) के बाद, निम्नलिखित शब्दों, कोष्ठकों, अंकों को क्रमशः अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्, -

"(ज) संदर्भ ईंधन हाइड्रोजन समृद्ध संपीड़ित प्राकृतिक गैस (एचसीएनजी) समय-समय पर यथा-संशोधित आईएस 17314: 2019 के अनुसार होगी,"

(ख) उप-खंड 9 (vi) के बाद निम्नलिखित शब्दों, कोष्ठकों, अंकों को क्रमशः अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्, -

"(vii) हाइड्रोजन समृद्ध संपीड़ित प्राकृतिक गैस (एचसीएनजी) के लिए विशिष्टताएं समय-समय पर यथा-संशोधित आईएस 17314: 2019 के अनुसार होंगे"

(ग) उपखंड 19 के बाद निम्नलिखित शब्दों, कोष्ठकों, अंकों को क्रमशः अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्, -

"(20) सीएनजी / बायो-सीएनजी / एचसीएनजी वाहनों को एआईएस 024, एआईएस-028 संशोधन 1 के अनुसार लागू सभी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।"

2. उप-नियम (18) में, खंड (ii) में, नीचे दी गई तालिका 2 में दिए गए नोट्स में,

(क) उप-खंड (4) (च) के बाद, निम्नलिखित शब्दों, कोष्ठकों, अंकों को क्रमशः अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्, -

"(छ) संदर्भ ईंधन हाइड्रोजन समृद्ध संपीड़ित प्राकृतिक गैस (एचसीएनजी) समय-समय पर यथा-संशोधित आईएस 17314: 2019 के अनुसार होगी,"

(ख) उप-खंड (7) (च) के बाद, निम्नलिखित शब्दों, कोष्ठकों, अंकों को क्रमशः अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्,

"(छ) वाणिज्यिक हाइड्रोजन समृद्ध संपीड़ित प्राकृतिक गैस (एचसीएनजी) के लिए विशिष्टताएं समय-समय पर यथा-संशोधित आईएस 17314: 2019 के अनुसार होंगे"

(ग) उप-खंड 16 के बाद निम्नलिखित शब्दों, कोष्ठकों, अंकों को क्रमशः अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्, -

"(17) सीएनजी / बायो-सीएनजी / एचसीएनजी वाहनों को एआईएस 024, एआईएस-028 संशोधन 1 के अनुसार लागू सभी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।"

3. उप-नियम (20) में, खंड (i) में, नीचे दी गई तालिका 2 में दिए गए नोट्स में,

(क) उप-खंड (4) (ड.) के बाद, निम्नलिखित शब्दों, कोष्ठकों, अंकों को क्रमशः अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्, -

"(च) संदर्भ ईंधन हाइड्रोजन समृद्ध संपीड़ित प्राकृतिक गैस (एचसीएनजी) समय-समय पर यथा-संशोधित आईएस 17314: 2019 के अनुसार होगी,"

(ख) उप-खंड 5 (vi) के बाद, निम्नलिखित शब्दों, कोष्ठकों, अंकों को क्रमशः अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्,

"(vii) वाणिज्यिक हाइड्रोजन समृद्ध संपीड़ित प्राकृतिक गैस (एचसीएनजी) के लिए विशिष्टताएं समय-समय पर यथा-संशोधित आईएस 17314: 2019 के अनुसार होंगे"

(ग) उप-खंड 14 के बाद निम्नलिखित शब्दों, कोष्ठकों, अंकों को क्रमशः अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्, -

"(15) सीएनजी / बायो-सीएनजी / एचसीएनजी वाहनों को एआईएस 024, एआईएस-028 संशोधन 1 के अनुसार लागू सभी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।"

[सं. आरटी -11036/62/2020-एमवीएल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), दिनांक 2 जून, 1989 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि..... (अ), दिनांकित.....द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2020

G.S.R. 461(E).—The following draft of certain rules further to amend Central Motor Vehicle Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by subsection (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

2. Objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules within the period aforesaid shall be considered by the Central Government.

3. Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL, Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi 110 001 or email at jspb-morth@gov.in within the period specified above.

Draft Rules

1. (1) These rules may be called as Central Motor Vehicles (....Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989, in rule 115,

(1) In sub-rule (18), in Clause (i), in the Notes given below TABLE 2,

a) after sub-clause 4(g), the following words, brackets, figures shall be inserted namely,-

“(h) The reference fuel Hydrogen Enriched Compressed Natural Gas (HCNG) shall be as per IS 17314:2019, as amended from time to time”

b) after sub-clause 9(vi) the following words, brackets, figures shall be inserted namely,-

“(vii) Specifications for Hydrogen Enriched Compressed Natural Gas (HCNG) shall be as per IS 17314:2019, as amended from time to time”

c) after sub-clause 19 the following words, brackets, figures shall be inserted namely,-

“(20) The CNG/Bio-CNG/HCNG Vehicles shall meet all the safety requirements as per AIS 024, AIS-028 Revision 1 as applicable.”

(2) In sub-rule (18), in Clause (ii), in the Notes given below TABLE 2,

(a) after sub-clause (4) (f), the following words, brackets, figures shall be inserted namely,-

“(g) The reference fuel Hydrogen Enriched Compressed Natural Gas (HCNG) shall be as per IS 17314:2019, as amended from time to time”

(b) after sub-clause (7) (f), the following words, brackets, figures shall be inserted namely,

“(g) Specifications for commercial Hydrogen Enriched Compressed Natural Gas (HCNG) shall be as per IS 17314:2019, as amended from time to time”

(c) after sub-clause 16 the following words, brackets, figures shall be inserted namely,-

“(17) The CNG/Bio-CNG/HCNG Vehicles shall meet all the safety requirements as per AIS 024, AIS-028 Revision 1 as applicable.”

(3) In sub-rule (20), in Clause (i), in the Notes given below TABLE 2,-

(i) after sub-clause 4 (e), the following words, brackets, figures shall be inserted namely,-

“(f) The reference fuel Hydrogen Enriched Compressed Natural Gas (HCNG) shall be as per IS 17314:2019, as amended from time to time”

(ii) after sub-clause 5 (vi), the following words, brackets, figures shall be inserted namely,-

“(vii) Specifications of commercial Hydrogen Enriched Compressed Natural Gas (HCNG) shall be as per IS 17314:2019, as amended from time to time”

(iii) after sub-clause 14 the following words, brackets, figures shall be inserted namely,-

“(15) The CNG/Bio-CNG/HCNG Vehicles shall meet all the safety requirements as per AIS 024, AIS-028 Revision 1 as applicable.”

[No. RT-11036/62/2020-MVL]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide notification number G.S.R. ____ (E) dated ____.